219

326

<u>न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट</u>
<u>कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)</u>

बद्री प्रसाद दुबे तनय स्व0 श्री मंगल प्रसाद दुबे, उम्र लगभग 68 वर्ष, पेशा– सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं कृषिकार्य, निवासी–ग्राम व पोस्ट–दुबगवाँ, तहसील–मनगवाँ, जिला –रीवा (म0प्र0)

.... **पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक**

RS 126-II/17

बनाम

भगवानदीन दुबे तनय रामकरण दुबे निवासी ग्राम व पोस्ट– दुबगवाँ, तहसील– मनगवाँ, जिला –रीवा (म0प्र0)

...............**गैर पुनरीक्षगणकर्ता/अनावेदक**

अधि0 श्री अखिलेश कुमार
द्वारा प्रस्तुत
23-3-17

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला– रीवा (म0प्र0) द्वारा प्र0क0–04बी 121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19/01/17,

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता सन् 1959 ई0,

मान्यवर,

<u>निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–</u>

1. ग्राम–कौआढान, तहसील– मनगवाँ, जिला–रीवा (म0प्र0) अन्तर्गत स्थित आराजी खसरा कमांक– 138, 139, 140, 141, 156, 160, तथा 161 कुल किता 7 कुल रकवा 11.73 ए0 भूमियाँ पुनरीक्षणकर्ता के पिता स्व0 श्री मंगल प्रसाद दुबे द्वारा रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 17/07/47 के तहत विकय प्रतिफल की राशि 1000/–रू0 अदा कर कय की

(219)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–रीवा

प्रकरण क्रमांक **R**–5126–**II** / 17

बद्री प्रसाद दुबे / भगवानदीन दुबे

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 04 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	